55

संख्या–642/ XVII–2/19–10(66) 2018

प्रेषक,

डा0 राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 25 जनवरी, 2019

विषयः छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्रत्येक योजना के लिए केन्द्र और राज्यांश को एक लेखाशीर्षक से भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–3736/स0क0/छात्र0/एक लेखाशीर्षक/2018–19 दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 के क्रम में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति का भुगतान लेखाशीर्षक 2225–01–277–01–06–21 तथा अन्य पिछड़ी जाति दशमोत्तर एवं पूर्वदशम छात्रवृत्ति का भुगतान लेखाशीर्षक 2225–03–102–01–02–21 से किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग द्वारा जिस लेखाशीर्षक से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना है उस लेखाशीर्षक में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि का वहन किया जायेगा, का उल्लेख भी सम्बन्धित लेखाशीर्षक में करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– /XVII–2/19–10(66) 2018तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
4. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5. नोडल अधिकारी, आई0टी0सेल, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उतराखण्ड।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(जे0पी0 बेरी)
अनुसचिव।